

<p>भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, हवाई कार्गो निर्यात नवीन सीमाशुल्क भवन, नई दिल्ली -37</p>		<p style="text-align: center;"><b>Government of India</b> <b>Ministry of Finance, Department of Revenue</b> <b>Central Board of Indirect Taxes &amp; Customs</b> <b>Office of the Commissioner of Customs</b> <b>Air Cargo Export</b> <b>New Customs House, New Delhi – 110037</b></p>
--	---	--

C. No. ACC/AEO/T2/6/2022-AEO-O/o Commr-Cus-ACC(E)-Delhi Date:05.04.2022

To,

1. महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वेस्ट ब्लॉक नं 0-1, गृह मंत्रालय, विंग नं 0 5, आर के पुरम, नई दिल्ली/  
The Director General, Narcotics Control Bureau, / Ministry of Home Affairs, /West Block No. – 1, /Wing No. -05, / R.K. Puram, /New Delhi- 110066
2. महानिदेशक, राजस्व इंटेलिजेंस निदेशालय, डी, ब्लॉक, आइ पी भवन, आइ पी इस्टेट, नई दिल्ली- 110002 /  
The Director General, Directorate of Revenue Intelligence, 'D' Block, I.P. Bhawan, I.P. Estate, New Delhi – 110002
3. महानिदेशक, माल और सेवा कर इंटेलिजेंस महानिदेशालय, वेस्ट ब्लॉक -VII, विंग नं VI, दुसरी मंजिल, आर के पुरम, नई दिल्ली/  
The Director General, Directorate General of Goods & Service Tax Intelligence, West Block VIII, Wing No VI, 2<sup>nd</sup> Floor, RK Puram, New Delhi- 110066
4. आयुक्त, विधि कार्य, निदेशालय/ चौथी मंजिल, राजेंद्र भवन, 210 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली/The  
Commissioner, Directorate of Legal Affairs, / 4<sup>th</sup> Floor, Rajendra Bhawan, 210, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi- 110002.
5. अपर महानिदेशक, प्रणाली महानिदेशालय, जोखिम प्रबंधन प्रभाग, विठ्ठलदास ठाकरसे मार्ग, पाटकर हाल के सामने, न्यू मरिन लाइंस, मुम्बई /  
The Additional Director General, Directorate General of Systems, Risk Management Division, 13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Opp Patkar Hal, New Marin Lines, Mumbai- 400020
6. मुख्य आयुक्त (सभी), सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (प्रिवेंटिव), माल और सेवा कर, माल और सेवा कर (ऑडिट)/All  
Chief Commissioners, Customs, Customs (Prev), Goods & Service Tax, Goods & Service Tax (Audit)

महोदय /महोदया/Sir/Madam,

**विषय/Sub:मै० मग्नोलिया मार्टिनिकुए क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, को आथोराइज्ड इकनॉमिक ऑपरेटर (AEO-LO) स्टेटस प्रदान करने के संबंध में।**

**Grant of Authorized Economic Operator (AEO-T2) status to M/s Magnolia Martinique Clothing Pvt. Ltd. -reg.**

(१) सी बी आई सी के परिपत्र संख्या 33/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 22.07.2016 (सी बी आई सी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार मै० मग्नोलिया मार्टिनिकुए क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, ने आथोराइज्ड इकनॉमिक ऑपरेटर प्रमाणन हेतु आवेदन किया है।

(1) **M/s Magnolia Martinique Clothing Pvt. Ltd.** - have applied for AEO Certification in terms of CBEC Circular No. 33/2016- Cus, dated 22.07.2016 (available on CBEC Website)

(२) **मै० मग्नोलिया मार्टिनिकुए क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड** के यूनिट की सूची एव इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स/ प्रोपरायटर्स/पार्टनर्स/कंपनी सेक्रेटरी की सूची अनुलगनक क के रूप में संलग्न है।

(2) A list of units of **M/s Magnolia Martinique Clothing Pvt. Ltd.** - and it's Board of Directors/ Proprietors/ Partners/ company Secretary is enclosed as Annexure- A.

(३) इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं से संबंधित विवरण इस पत्र की प्राप्ति के 21 दिनों के अंदर डाक द्वारा या उपरोक्त ई मेल पते पर ई मेल द्वारा सीमाशुल्क आयुक्तालय, अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो, पटपरगंज एवं अन्य आईसीडी को भेज दें : -

(i) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में धोखाधड़ी, जालसाजी, सीधी तस्करी, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के गुप्त रूप से निष्कासन अथवा ऐसे मामले जहाँ ग्राहक से सेवाकर तो वसूला गया परंतु सरकार के पास जमा नहीं किया गया, से अंतरग्रस्त मामलों के संबंध में उन्हे जारी किया गए कारण बताओ नोटिस (एस सी एन )

(ii) वे मामले जहाँ आवेदक अथवा इसके वरिष्ठ प्रबंधन के विरुद्ध अभियोजन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है अथवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

(iii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन जारी किए गए सभी कारण बताओ नोटिसों (एस सी एन ) (उक्त i एव ii में दर्शाए गए के अतिरिक्त ) माँगी गई कोई विवादित ड्यूटी ड्रा बेक व इंकार की माँग है, ऐसी विवादित ड्यूटी माँग या ड्रा बेक माँग का अनुपात उपलब्ध कराया जाए

विवरण में संक्षेप में मामला, कारण बताओ नोटिस/आदेश की तारीख तथा आलिस राजस्व दर्शाया जाए। यदि यह आवेदक विभाग/सरकार के किसी प्रतिकूल नोटिस में आया हो तो कृपया उसका विवरण भेजा जाय। यदि भविष्य में कोई नया कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, तो उसे इस कार्यालय को सूचित किया जाए ताकि इस मामले में स्थिति/ मान्यता की समीक्षा की जा सके।

(3) Further , it is also requested that details regarding below mentioned points may be intimated to this office positively within 14 days of receipt of this letter vide post or through fax given above (header of the letter).

(i) Show cause notice issued to them during last three financial years involving fraud, forgery, outright smuggling, clandestine removal of excisable goods or cases where Service Tax has been collected from customers but not deposited to the Government.

(ii) Case wherein prosecution has been launched or is being contemplated against the applicant or its senior management.

(iii) Whether there are any disputed duty demanded or drawback demanded or sought to be denied, in all the show cause notices issued under the Customs Act, 1962 (other than those mentioned in Point 1 & 2 above) during the last three financial years. The ratio of such disputed duty demanded or drawback demanded or sought to be denied may be provided.

The details may include issue in brief, date of SCN/ order and revenue implication. In case this applicant has come to any adverse notice of the department / Govt., details may please be communicated. In case any fresh / new SCN is issued in future, the same may be intimated / endorsed to this office, so that the status / accreditation can be reviewed.

(4) उक्त परिपत्र के पैरा 3.2 के संबंध में विगत तीन वर्षों हेतु पार्टी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिकॉर्ड की बैकग्राउण्ड जांच करने हेतु यह विवरण आवश्यक है। यदि उपर्युक्त निश्चित समयावधि तक जवाब प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि आवेदक को ए ई ओ स्टेटस प्रदान करने में आपको कोई आपत्ति नहीं है।

(4) These details are necessary to run a background check on compliance record submitted by the party for the last three years in terms of Para 3.2 of the said circular. In case no reply is received within the aforesaid stipulated time period it will be presumed that you have no objection in granting 'AEO' status to the applicant.

(5) इसके अतिरिक्त, यदि आवेदक के अपयश संबंधी कोई मामला आपकी नोटिस में अभी आया है अथवा भविष्य में आए तो उसकी सूचना भी हमें भेजे।

(5) Moreover, if any incidence of dis-reputation of the applicant comes to your notice now or in future, the same may also be informed to us.

Yours faithfully

Encl: Annexure A

(e-office generated, signature not required)  
Deputy Commissioner  
CRM, ACC Export, Delhi